## उत्तरांचल शासन वित्त (सामान्य नियम-वेतन आयोग ) अनुभाग-7 संख्या 20 / XXV । (7) / 2005 देहरादूनः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2005

### अधिसूचना पकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश ) नियमावली 1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) (उत्तरांचल) नियमावली, 2005

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 🕻 (उत्तरांचल) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह 1 अक्टूबर, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 2- उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि (उत्तरांचल) नियमावली, 1985 में नीचे स्तम्म-1 में नियम 4 का दिये गये वर्तमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया प्रतिस्थापन जायेगा, अर्थात:-

### स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

4— संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और 4— संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों से भिन्न समस्त पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों से भिन्न समस्त रथायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकारी सेवक, जिनकी सेवायें एक वर्ष से सरकारी सेवक, जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, निधि में अभिदान करेंगे।

### स्तम्भ-2

एततद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे:

> परन्तु कोई सरकारी सेवक जो 1 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात सेवा

### वर्तमान नियम

## एततद्वारा प्रतिस्थापित नियम

में प्रवेश करता है, निधि में अभिदान नहीं

दें।

मस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा।

अभिदान करेंगे। टेप्पणी—3: जैसे ही कोई सरकारी सेवक टिप्पणी—3: जैसे ही कोई सरकारी सेवक नेधि में अभिदान करने का दायी हो जाय, निधि में अभिदान करने का दायी हो जाय, वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए के वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे -

करेगा। टेप्पणी—1: शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन टिप्पणी—1: शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा। टेप्पणी—2: ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक, टिप्पणी—2: ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक, जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन (जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी रेक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जेनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी हने की संम्भावना हो, सेवा में कार्यभार रहने की संम्भावना हो, सेवा में कार्यभार प्रहण करने के दिनांक से , निधि में ग्रहण करने के दिनांक से , निधि में अभिदान करेंगे।

> इन्दु कुमार पाण्डे प्रमुख सचिव।

# संख्या— 20(1) / **XXVII**(7) / 2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
- 4. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
- 5. स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।
- 6. सचिव, विधानसभा उत्तरांचल।
- 7. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल, देहरादून।
- उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
- 10. निदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
- 11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से, ग्रिक्ट्रे (टी०एन०सिह) अपर सचिव।

In pursuance, of the provisions of clause (3) of Article 348 of e Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of e following English translation of Notification No. 20 /XXVII(7)/2005 ated October 25, 2005.

> No. 20 /XXVII(7)/2005 Dated: Dehradun:October 25, 2005

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 f the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with view to amending the Uttar Pradesh General Provident Fund (Uttaranchal) ules, 1985.

### THE UTTAR PRADESH GENERAL PROVIDENT FUND (AMENDMENT) (UTTARANCHAL) RULES, 2005.

These rules may be called the Uttar Pradesh General Provident Short title ar . (1) Fund (Amendment) (Uttaranchal) Rules, 2005. commenceme

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from

October 1, 2005.

Substitution 2- In the Uttar Pradesh General Provident Fund Rules (Uttaranchal), 1985 of rule 4 for exiting rule 4 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

#### COLUMN-2

service.

COLUMN-1

Existing rule

Rule as hereby substituted Conditions of eligibility- All 4. Conditions of eligibility- All nanent Government servants and permanent Government servants and temporary Government servants, all temporary Government servants, er than those appointed on other than those appointed on contract tract and re-employed persioners, and re-employed pensioners, whose se services are likely to continue services are likely to continue for more than a year shall subscribe more than a year shall subscribe to the he fund from the date of joining fund from the date of joining the service:

> Provided that no government servant entering service on or after October 1, 2005 shall subscribe to the fund.

### COLUMN-1 Existing rule

### COLUMN-2 Rule as hereby substituted

Apprentices TE-1purpose of this rule.

ointed

oining the service.

and NOTE-1-Apprentices bationers shall be treated as probationers shall be treated as porary Government servants for temporary Government servants for the purpose of this rule.

TE-2- Temporary Government NOTE-2- Temporary Government vants(including Apprentices and servants(including Apprentices and bationers) who have been probationers) who have been against regular or appointed against regular or temporary porary vacancies and are likely to vacancies and are likely to continue tinue for more than a year shall for more than a year shall subscribe to scribe to the Fund from the date the Fund from the date of joining the service.

TE-3- Executive authorities NOTE-3- Executive authorities uld inform the Account Officer as should inform the Account Officer as n as a Government servant soon as a Government servant omes liable to subscribe to the becomes liable to subscribe to the fund.

> Indu Kumar Pande Principle Secretary

No- 20 (1)/XXVII(7)/2005 dated above.

4-

7-

9-

10-

11-

12-

Copy: For information and necessary action to following:-

All Principal Secretaries/Secretaries, Uttaranchal Govt.

All Head of Departments/Head of the Offices, Uttaranchal.

Accountant General, Uttaranchal, Dehradun.

Ragistrar General, Hon'able High Court of Uttaranchal, Nainital.

Resident Commissnor, Uttaranchal, New Delhi.

Secretary, Vidhansabha, Uttaranchal.

Secretary, To Governor Uttaranchal.

All Sections, Uttaranchal Secretariat, Dehradun...

All Treasuary Officers, Uttaranchal.

Director, Administrative Training Institute, Nainital.

Deputy Director, Government Press, Roorkee for publication in State Gazette.

Senior Technical Director, N.I.C Uttaranchal Unit, Dehradun.

By Order,

(T.N.Singh)

Additional Secretary